राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार

कार्यालय मुख्य प्रबंधक, कोटा आगार

क्रमांक :–एफ/लेखा/मु.प्र./कोटा/2025/872 दिनांक :– 18/2/2025

निविदा – सूचना

नयापुरा केन्द्रीय बस स्टैण्ड़ कोटा पर **खाली स्थान पर गन्ना ज्यूस एंव सोडा वॉटर हेतु** 6×6 = 36 वर्गफीट लगभग को **खाली स्थान पर गन्ना ज्यूस एंव सोडा वॉटर** (ठेके) लाइसेसी नियुक्त किया जाना है।

क्र.सं	कार्य की प्रकृति	साईज	धरोहर राशि	अवधि	वार्षिक अनुमानित
1	**खाली स्थान पर गन्ना ज्यूस एंव सोडा वॉटर**	6×6 = 36 वर्गफीट	15000	1 वर्ष	**162000** (प्रतिमाह 13500) जी एस टी पृथक

निविदा फार्म निर्धारित राशि रूपये 200/– नकद जमा कराकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय समय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा फार्म के धरोहर राशि **15000 रूपये डी.डी./बैंकर्स चैक** रा.रा.प.प.निगम कोटा आगार के नाम जमा करवानी होगी। धरोहर राशि जमा कराये बिना निविदा मान्य नही होगी। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव **दिनांक 25.02.2025** को **दोपहर 01.00** बजे तक लिफाफे में जमा करायेगे। जो उसी दिन **दोपहर 03.30** बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोला जावेगा। किसी भी प्रकार का प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण रूप से अधिकार होगा। निविदाकर्ता स्थान की जांच अपने स्तर पर कर लें। निविदा खुलने एंव आंवटन के पश्चात् किसी भी प्रकार की शिकायत मान्य नही होगी एंव जमा समस्त राशि को निगम द्वारा जब्त कर लिया जावेगा। जावेगा। किसी भी निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उपरोक्त अनुमानित राशि केवल लाइसेंस फीस मात्र है इस पर **GST** अतिरिक्त देय होगा।

मुख्य प्रबन्धक,कोटा

मुख्य प्रबन्धक
रा० रा० पथ० परि० निगम
कोटा आगार

Scanned with CamScanner

मुख्य प्रबन्धक
रा० रा० पथ० परि० निगम
कोटा आगार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार

निविदा पपत्र (क)

राजस्थान परिवहन निगम के नयापुरा केन्द्रिय बस स्टैण्ड पर **केवल गन्ना ज्यूस एंव सोडा वॉटर** के लिए खाली स्थान 6×6 का ठेका आंवटन हेतु निविदा प्रपत्र (यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है ।)निगम प्रशासन द्वारा किसी भी समय जीर्णोद्वार होने पर टेण्डर निरस्त किया जा सकता है।

निविदा प्रपत्र संख्या एफ/मु.प्र./2025/878
दिनांकः– 18/2/25

निविदा प्रपत्र की राशि 200/–रू
जमा रूपये ..../–
अक्षरे..रूपये मात्र
नकद/रसीद संख्या ....
दिनांकः–...

निविदा प्राप्त करने की दिनांक
निविदा प्रपत्र जमा करने की दिनांक
निविदा खोलने कि दिनांक

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पता :– ....
....
2. टेलिफोन नम्बर :–..
3. टेलेक्स/फेक्स नम्बर :– ....
4. व्यवसायिक अनुभव व उसका विवरण :–...
5. धरोहर राशि :–..
6. धरोहर राशि का निगम कोष में जमा रसीद संख्या...
   /ड्राफ्ट/बैकर्स चेक नम्बर दिनांक :–..
7. देय लाइसेस शुल्क राशि रूपये ....राशि प्रतिमाह रूपये.........................
   शब्दों में :– ....
8. निगम में पूर्व में गन्ना एंव ज्यूस के लिए खाली स्थान ठेका का आंवटन हुआ हैं तो उसका पूर्ण विवरण
   . . . .
   . . . .
9. निविदादाता का बैंक अकाउन्ट किस बैंक में..
   है, नम्बर सहित दर्शायें।..
10. निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति...
    का विवरण सत्यापित दर्शाये...
11. अन्य विवरण ....
    ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हेसियत/मोहर सहित

Scanned with CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार

घोषणा पत्र

निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1. मै/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/डी.डी. संख्या/बैकर्स चैक संख्या. ....दिनांक ....राशि .... रूपये..जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है, संलग्न कर रहे है/कर दिया है।

2. मैं/हमने निगम की समस्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तो की पालना का वचन देता हूँ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ लाइसेसी पर हस्ताक्षर कर दूंगी/देंगें।

3. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मैने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्थान को कोई सरोकार नही है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नही दिये गये है।

4. निगम प्रशासन द्वारा किसी भी समय जीर्णोद्वार होने पर टेण्डर निरस्त किया जा सकता है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हेसियत/मोहर सहित

Scanned with CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार

मुख्य प्रबन्धक
रा० रा० पथ० परि० निगम
कोटा आगार

निविदा शर्ते (वर्ष 2025–26)

निविदा शुल्क– ....रूपये मात्र
निविदा दिनांक–..
निविदा प्राप्ति समय..
निविदा खोलने का समय..

दुकान/स्टॉल/खाली स्थान आंवटन/संचालन की निविदा शर्ते निम्न हैः–

1. निगम परिसर में दुकान/स्टॉल/**खाली स्थान अस्थाई** लाइसेस पर प्रथमतः 1 वर्ष के लिए दी जावेगी। 1 वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाइसेंसी के विरूद्ध कोई राशि बकाया नही होने/संलोषजनक सेवायें रहने पर लाइसेंस फीस में **10 प्रतिशत चक्रवत्ति दर से वृद्धि** करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टॉलो की मासिक लाइसेंस फीस **50,000/– रूपये से कम है**, उन स्टॉलो का लाइसेंस नवीनीकरण अधिकतम **तीन वर्ष तक** व जिन स्टॉलों के मासिक लाइसेंस फीस **50,000 रूपये अथवा उससे अधिक होने** पर उन स्टॉलो का लाइसेंस नवीनीकरण **अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए** किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व पुनः खुली निविदा आंमत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा–निर्देशानुसार समय पर स्टॉल आंवटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञी की अवधि समाप्ति पर लाईसेसी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए, निगम को दुकान/स्टॉल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पडेगा। लाइसेसी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरूद्ध वाद दायर नही किया जा सकेगा।

2. लाइसेंस पर दुकान/स्टॉल/**खाली स्थान लेने** हेतु लाइसेसी को 500 रूपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप लिखित में अनुबंध करना होगा।

3. लाइसेंस पर दी गई दुकान/**स्टॉल/खाली** स्थान पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नही कि जावेगा अन्यथा टेण्डर निरस्त किया जा सकता है।

   1. केवल गन्ना ज्यूस
   2. सोडा वॉटर
   3.

4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि ..../–रूपये (अक्षरे ....रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट/चैकर्स चैक/नगद जमा की रसीद संलग्न करनी होगी। लाइसेंस आवटित होने पर लाइसेसी को दस दिवस में तीन माह की लाइसेंस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी./बैकर्स चैक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एंव सुरक्षा

–––2

Scanned with CamScanner

राशि बिना ब्याज के लाइसेंस अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस जारी होने के तीन दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नही करने पर धरोहर एंव सुरक्षा राशि जब्त कर लाइसेंस रद्द् कर दिया जावेगा व द्वितिय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाइसेंस आवंटन किया जा सकेगा।

5. निगम को अनुबंध समाप्ति दिनांक से पूर्व आंवटित दुकान/स्टॉल/**खाली स्थान** की आवश्यकता होने पर लाइसेंसी को 24 घंटे के अन्दर अपने स्वंय के खर्चे पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एंव उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाइसेंस दरो के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये जोवगे एंव उसका अनुमोदन जोन के महा प्रबंधक के स्तर से किया जावेगा जब भी लाइसेंसधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाइसेंस निरस्त किया जावेगा तथा नये स्थान पर आंवटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेसधारी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेस शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेसधारी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाइसेंस शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेसधारी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एंव नये स्थान का लाइसेंस भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदायें आमंत्रित कर आंवटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेसी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तर दायित्व के लाइसेंस समाप्त कर सकेगा।

6. लाइसेंसी मासिक लाईसेसी फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आंवटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होगे, देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेसी फीस जमा नही कराने अथवा लाईसेस की किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घंटे का नोटिस जारी कर लाईसेंस निरस्त कर सकेगी। लाईसेंस निरस्त करने/वापिस लिये जाने पर लाईसेंसी निगम परिसर को 24 घंटे में खाली कर कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देय होगा। ऐसा नही किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर दुकान/स्टॉल/खाली स्थान का कब्जा ले लेगा और स्टॉल के ताला लगा दिया जावेगा।

7. लाईसेंसी स्वंय के खर्चे पर संबंधित विभाग से बिजली, पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका स्वंय भुगतान वहन करेगा। अनुबंध समाप्त होने पर आगारीय समिति संबंधित विभाग को कनेक्शन बन्द करने लिए सूचित करेगा।

8. आंवटित दुकान/स्टॉल/खाली स्थान पर लाईसेसी मादक पदार्थ जैसे शराब, बीयर, अफीम, गांजा, चरस, व सरकार द्वारा प्रतिबधित पदार्थ न तो रखेगा और न ही बेचेगा।

9. लाईसेसी अपना व्यवसाय आंवटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।

---3

Scanned with CamScanner

10.लाईसेसी विक्रय किये जाने वाले पदार्थो की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकान/स्टॉल/खाली स्थान पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सकें। लाईसेसी आंवटित दुकान/स्टॉल/खाली स्थान में किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नही करा सकेगा।

11. निगम द्वारा लाईसेंसी को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नही होगा।

12. यदि लाईसेसधारी स्वंय अपना लाईसेंस चालू नही रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

13. दुकान/स्टॉल/खाली स्थान का लिया गया लाईसेंस अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नही किया जा सकेगा।

14. अनुबंध के क्रियान्वयन शर्तो एंव अनुबंध के निर्विचन के संबंध में दोनो पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनो को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एंव उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नही ले जा सकेगे। उक्त दोनो पक्ष यह जानते है कि अध्क्ष निगम के अधिकारी है एंव उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षैत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।

15. लाईसेसी के विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेसी द्वारा दो दिवस में बैक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष मे जमा करानी होगी। ऐसे नही करने पर आगारीय समिति लाईसेस निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाइसेंस दे दिया जावेगा।

16. लाईसेसी द्वारा निगम से समय समय पर जारी आदेश/शर्तो का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाइसेंस निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेसी स्वंय जिम्मेदार होगा।

17. दुकान/स्टॉल/बूथ खाली स्थान पर गुणवत्ता पदार्थो का ही विक्रय किया जा सकेगा।

18. लाईसेसी द्वारा किये जा रहें व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेसी द्वारा सीधे ही संबंधित विभाग में जमा कराया जावेगा।

19. यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेंस उसी प्लेटफार्म पर अन्य फार्म को जारी कर सकेगा। लाईसेसधारी को इस बारे में किसी भी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नही होगा।

Scanned with CamScanner

20. यदि निविदा दाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते है तो निविदा दाता को लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबंधक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होगे।

1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एंव अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वंय के नाम पर कोई अचल संपत्ति नही है तो उसके गांरटर की चल एंव अचल संपत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति।
2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति। (पुष्टि में **मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राईविंग लाइसेंस की प्रति, पैन कार्ड, इनकम टेक्स रिटर्न की प्रमाणित फोटो प्रति**)।

21. निविदा प्रारूप सील बंद लिफाफे में प्रेषित किये जावेगें।

22. निविदा प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में होगें तथा किसी प्रकार की कांट–छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।

23. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नही होगे।

24. यदि किसी भी संस्थान /व्यक्ति /फर्म के विरूद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

25. देय मासिक लाइसेंस फीस पर सेवा कर में 18 प्रतिशत अतिरिक्त लाइसेंसी द्वारा निगम को को भुगतान करनो होगा।

26. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

27. मैनें उपरोक्त शर्तो की पढकर,समझकर,सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्ते मुझे स्वीकार है।

28. लाईसेंसधारी द्वारा निर्धारित अवधि में लाईसेंस फीस निगम कोष में जमा नही करवाने पर **प्रतिदिन 50/–** अथवा चैक राशि का एक प्रतिशत (जो भी अधिक हो दर सें शास्ती जमा करानी होगी की फिर भी लाईसेसी द्वारा भुगतान नही किये जाने पर चैक अनादरण होने की स्थिति में लाईसेंस धारी के विरूद्ध नियमानुसार न्यायिक कार्यवाही की जावेगी।

29. निगम प्रशासन द्वारा किसी भी समय जीर्णोद्वार होने पर टेण्डर निस्रत किया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम–

पिता का नाम–

पता–

मोबाईल न0–

मुख्य प्रबंधक,
कोटा आगार।

Scanned with CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कोटा आगार

(वित्तीय निविदा पपत्र) (ख)

व्यवस्था का नाम– खाली स्थान पर गन्ना ज्यूस एंव सोडा वॉटर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नयापुरा केन्द्रिय बस स्टैण्ड कोटा में कैन्टिन के सहारे **खाली स्थान पर गन्ना ज्यूस एंव सोडा वॉटर** के लिए ठेका आंवटन हेतु हमारी दरे निम्नानुसार रहेगी।

क.स.	कार्य की प्रकृति	निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर
1	**खाली स्थान पर गन्ना ज्यूस एंव सोडा वॉटर**	13500 प्रतिमाह (जी.एस.टी. पृथक)	
2			

नोट–इस विभाग द्वारा निर्धारित दरो से कम दर की निविदा स्वीकार नही होगी। प्रस्तुत सर्विस चार्ज शून्य, दशमलव एवं ऋणात्मक राशि स्वीकार्य नहीं होगी। इस पर बाद में कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम–.......................................

पिता का नाम..............................

पता..

मोबाईल न..................................

Scanned with CamScanner